

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना-कुचामन)

प्रार्थी/वादी

प्रभूराम


किस्म प्रकरण : वाद पत्र

बनाम

अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

भंवरलाल वगैरह

मुकदमा नं. 10/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
10.02.2026	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण अधीन धारा 188 आरटीएक्ट 1955 के तहत दिनांक 19.01.2022 से तलबी हेतु न्यायालय में तलबी स्तर पर विचाराधीन है, वकील वादी को पूर्व में प्रतिवादीगण की तलबी हेतु अनेक अवसर दिये गये थे। साथ ही वकील वादी बार-2 निवेदन पर गत तारीख पेशी दिनांक : 08.01.2025 को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को मध्यनजर रखते हुये एक अन्तिम अवसर ओर प्रकरण में न्यायालय आदेश की पालना नहीं की जाने पर सीपीसी प्रावधानुसार आदेश-09 नियम-05 के तहत खारिज किये जाने की हिदायत के साथ तलबी हेतु दिया गया था। परन्तु वकील वादी ने साबिका आदेश की पालना आदिनांक तक नहीं की।</p> <p>अतः वादी का वादपत्र अधीन धारा 188 एक्ट 1955 बावजूद हिदायत न्यायालय आदेश की पालना नहीं की जाने पर आदेश-9 नियम-5 के तहत अदम तकमील में खारिज किया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">  (दिव्या सोनी) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन) </p>	